(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 27/2025–2026
नई दिल्ली, दिनांकः 22 अगस्त, 2025

विषयः शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के संशोधन के संबधं में।

सा. आ. (अ.): समय–समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व की अधिसूचना सं. 45/2024–25 दिनांक 30.12.2025 के संशोधन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) कोड 04090000 की अनुसूची–II (निर्यात नीति) के अंतर्गत प्राकृतिक शहद के न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती हैः–

प्रशुल्क मद एचएस कोड	**मद विवरण**	**निर्यात नीति**	**मौजूदा नीतिगत शर्त**	**संशोधित नीतिगत शर्त**
04090000	प्राकृतिक शहद	मुक्त	31 दिसम्बर, 2025 तक एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) **2000** अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन	31 दिसम्बर, 2025 तक एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) **1400** अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

प्राकृतिक शहद पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को तत्काल प्रभाव से 31 दिसम्बर, 2025 तक 2000 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से संशोधित करके 1400 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन किया गया है।

(अजय भादू)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खंड 8/पार्ट फाइल/ई–38272 से जारी)